संख्या– /VI/2005–3(33)2005टी0सी0-II

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अनुसचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभागः देहरादून दिनांक 06 दिसम्बर, 2005

विषयः जिला योजना 2005–2006 के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनेंट प्लान हेतु धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–341/2–6–215/05–06 दिनांक 03 अक्टूबर 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला योजना 2005–2006 के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनेंट प्लान हेतु रू0 53.72 लाख (रू0 तिरपन लाख बहत्तर हजार मात्र)के आगणनों के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 50.69 लाख की लागत के आगणनों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए उक्त लागत के विपरीत रू0 26.70 लाख (रूपये छब्बीस लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि को डिपाजिट के रूप में आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	योजना का नाम	योजना की लागत	टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई
	जनपद–नैनीताल				
1	थुवा ब्लाक हरि नगर में सांस्कृतिक मंच का निर्माण	24.62	23.29	10.00	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, नैनीताल
2	सिल्टोना में सांस्कृतिक मंच का निर्माण	22.00	20.70	10.00	तदैव
	जनपद–पौड़ी गढ़वाल				
3	विकासखण्ड पौड़ी में शिव मंदिर जयराज का सौन्दर्यीकरण	7.10	6.70	6.70	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, पौड़ी
	योग	**53.72**	**50.69**	**26.70**	

(रूपये छब्बीस लाख सत्तर हजार मात्र)

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

4–कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7–कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बंधित निर्माण एजेंसी कार्य स्थल पर इस आशय का एक साईनबोर्ड स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग के सौजन्य से निर्मित किया जा रहा है। कार्य पूर्ण हाने की सूचना एवं योजना का फोटोग्राफ यथासमय शासन को उपलब्ध करायेगें।

8–सम्बंधित निर्माण एजेन्सियां से कार्य को समयवद्ध रूप से पूर्ण किये जाने हेतु वचनबद्धता भी प्राप्त कर लिया जायेगा एवं कार्य समयावधि के भीतर पूर्ण न किये जाने पर निर्माण एजेन्सी के परिवर्तन पर भी विचार किया जायेगा इस हेतु सम्बंधित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

9–उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति बताने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

10–कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भविष्य में उक्त योजना के अनुरक्षण की वचनबद्वता सम्बन्धित नगर पंचायत/मंदिर की प्रबन्ध समिति से ले ली जायेगी और इस हेतु भविष्य में शासन द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।

11–स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त योजनायें जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हों और जनपदवार आवंटित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत ही हों।

12–कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

13–कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें।निरीक्षण के पश्चात् स्थल पर आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

14–कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मंदिर समिति/ट्रस्ट अथवा सम्बन्धित जिला पंचायत से भविष्य में उक्त योजना के अनुरक्षण की लिखित वचनबद्वता अवश्य प्राप्त कर ली जायेंगी।

15–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय ।

16–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

17–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

18–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–2006 के अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–800–अन्य–02–अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान–91–जिला योजना–24–वृहद् निर्माण कार्य की मानक मद के नामें डाला जायेगा।

19–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–147/XXVII(2)/2005, दिनांक 28 नवम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या–1367 VI /2005–3(33)2005 टी0सी0-II तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वान मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
4– जिलाधिकारी, नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल।
5– निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी,उत्तरांचल शासन।
6– निजी सचिव,मा0 पर्यटन मंत्री जी,उत्तरांचल शासन।
7– वित्त अनुभाग–2
8– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
9– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
10– समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ विभाग।
11– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पौड़ी/नैनीताल।
12–एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर।
13–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

5/11

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

05120 5006